दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 28 अक्टूबर, 2013
निर्णीत : 20 नवंबर, 2013

आप.अ. 606/2000

अमर कुमार गुप्ता ....अपीलार्थी

द्वारा: श्री आर.डी.राणा, अधिवक्ता।

बनाम

दिल्ली राज्य ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री लवकेश साहनी, अ.लो.अभि.।

और

आप.अ. 607/2000

धर्मवीर उर्फ़ धर्म .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री आर.डी.राणा, अधिवक्ता।

बनाम

दिल्ली राज्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री लवकेश साहनी, अ.लो.अभि.।

कोरम:
माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.पी.गर्ग

<u>न्या. एस.पी.गर्ग</u>

1. राम राज उर्फ़ राजेश उर्फ़ सागर; अमर कुमार गुप्ता (अपीलार्थी-1); खेम चंद उर्फ़ सोनू; सरफू उर्फ़ गोविंदा; धर्मवीर उर्फ़ धर्मा (अपीलार्थी-2) और राज कुमार उर्फ़ राजू को प्रथिमिक संख्या 532/98 पुलिस थाना ओखला औद्योगिक क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया था और भा.दं.सं. की धारा 394/34, 120-ख और 411 के तहत अपराध करने के कारण विचारण के लिए भेजा गया था, इस अभिकथन पर कि दिनाँक 01.08.1998 को शाम 7.40 सर्विस रोड, डी-ब्लॉक, वाटर टैंक, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास, उन्होंने डकैती करने के लिए आपराधिक साजिश रची और उस साजिश के अनुसरण में, रविंदर चौधरी को घायल करने के पश्चात 86,000 रुपये लूट लिए। अभियोजन पक्ष ने आरोपों को सिद्ध करने के लिए बारह साक्षी को परीक्षित किया है। अपने दं.प्र.सं. 313 बयानों में, अभियुक्त व्यक्तियों ने झूठे फंसाने की बात रखी। बचाव में प्र. स.-1 (जगदीश) और प्र.स.-2 (मुख्य आरक्षी रमेश चंद) परीक्षित किए गए। साक्ष्यों के मुल्यांकन करने और पक्षकारों की प्रतिविरोधों पर विचार करने पर, विचारण न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 146/98

में दिनांकित 04.08.2000 के आक्षेपित निर्णय द्वारा भा.दं.सं. की धारा 394/34 के तहत अपराधी-1,अपराधी-2, राम राज उर्फ़ राजेश उर्फ़ सागर और सरफू उर्फ़ गोविंदा को सिद्धदोष ठहराया। खेम चंद उर्फ़ सोनू और राज कुमार उर्फ़ राजू को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि राज्य ने उनकी बरी किए जाने को चुनौती नहीं दी। यह ध्यान देना और भी प्रासंगिक है कि सरफू उर्फ़ गोविंदा और राम राज उर्फ़ राजेश उर्फ़ सागर ने इस न्यायालय के समक्ष आप.अ.संख्या 557/2000 और 558/2000 दायर की थी। जिनका 26 अप्रैल, 2013 को निपटारा कर दिया गया।

2. मैंने विद्वान अपर लोक अभियोजक और श्री आर.डी.राणा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख को परीक्षित किया। बहस के दौरान, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने सजा के आदेश में नरमी बरतने और संशोधन करने पर जोर दिया गया क्योंकि अपराधी-1 और अपराधी-2 पहले ही लगभग तीन वर्षों से हिरासत में थे और उनका साफ-सुथरा पूर्ववृत्त है। अपराध में हथियार बरामद नहीं हुआ और लूटी गई नकदी की बरामदगी संदिग्ध है। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आग्रह किया कि पीड़ित के बयान को खारिज करने के लिए कोई वैध कारण नहीं हैं, जिनकी अभियुक्तों के साथ कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी।

3. अपीलार्थीगण के अपराध का अनुमान लगाने के लिए निर्णयाक गवाही अभि.स.-1 (रविंदर चौधरी) की है जिसे दिनाँक 01.08.1998 को लगभग 07.40

बजे 86,000/- रुपये और अन्य वस्तुओं से वंचित कर दिया गया था। वह पुलिस चौकी गए और बिना किसी देरी के प्राथमिकी (प्र.अभि.स.-12/छ) दर्ज कराई और पुलिस को घटना के संबंध में सूचित किया। उन्हें एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया और उनकी चिकित्सा परीक्षण जांच की गई। चोटों को बिना धार की वस्तु होने के कारण प्रकृति में "सरल" वर्णित किया गया था। बयान में (प्र.अभि.स.-12/छ), रविन्द्र चौधरी ने घटना का सजीव विवरण दिया और हमलावरों की मुख्य भूमिका को बताया कि जो मोटरसाइकिल पर आए थे और उनसे बैग जो की 86,000/- रुपये, राशन कार्ड, आई-कार्ड और गेट पास से भरा था छीन लिया था, हालांकि वे उस मोटरसाइकिल का पंजीकरण संख्या नहीं लिख सके जिस से हमलावर मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने हमलावरों की पहचान करने का दावा किया और शिकायत में उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी। जांच के दौरान, सभी हमलावरों ने पहचान परीक्षण कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया और आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस स्टेशन में गवाहों को दिखाया गया था। अभि.स.-1 (रविन्द्र चौधरी) ने बिना किसी हिचकिचाहट के न्यायालय में उन सभी की पहचान की और उन्हें डकैती की घटना के लिए दोषी ठहराया जिसमें उसे पीटा गया था। शिकायतकर्ता, जिसकी किसी भी अपीलार्थी के विरुद्ध कोई पूर्व दुर्भावना या शिकायत नहीं थी, ने पुलिस को दिए गए बयान को बिना किसी बदलाव या सुधार के साबित कर दिया। साक्षी को झूठा अभिसाक्ष्य देने के पीछे कोई अंतरस्थ हेतु नहीं बताया गया। यह बात अभिलेख में आई है कि हमलावरों में से कोई भी उसे नहीं जानता था और

प्राथमिकी में उसका नाम भी नहीं था। इससे पता चलता है कि उसे उनके खिलाफ कोई रंज नहीं थी। पीड़ित का हमलावरों के साथ पर्याप्त समय तक सीधा सामना हुआ था और उसे न्यायालय में उनकी पहचान करने के लिए उनके चेहरे के भावों को देखने का स्पष्ट अवसर मिला था। यह घटना शाम लगभग 07.40 बजे घटी और पुलिस तंत्र तुरन्त सक्रिय हो गया। जांच अधिकारी ने पीड़िता का बयान दर्ज करने के पश्चात रात्री 9.15 बजे उस पर पृष्ठांकन (प्र.अभि.स.-12/क) करके प्राथमिकी दर्ज की। घटना की सूचना देने वाले द्वारा सभी जीवंत विवरणों के साथ घटना की प्रारंभिक रिपोर्टिंग से बयान की सत्यता के संबंध में आश्वासन मिलता है। '*जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य*, 2012 सीआरआई.एल.जे. 2101 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:

> "*आपराधिक मामले में प्राथमिकी महत्वपूर्ण और मूल्यवान साक्ष्य है, हालांकि यह सारभूत साक्ष्य नहीं हो सकता है। किसी अपराध के संबंध में प्राथमिकी शीघ्र दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य अपराध के घटित होने की परिस्थितियों, वास्तविक अपराधियों के नाम और उनकी भूमिका तथा घटनास्थल पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों के नाम के बारे में शीघ्र जानकारी प्राप्त करना है। किसी अपराध के कृत्य के संबंध में प्राथमिकी को तुरंत दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य उन परिस्थितियों के संबंध में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करना है जिनमें अपराध किया गया था, वास्तविक अपराधियों के नाम और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के साथ-साथ घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीद गवाहों के नाम भी प्राप्त करना है। यदि प्राथमिकी दर्ज*

करने में विलंब होता है तो यह सहजता का लाभ खो देता है, परामर्श/ विचारपूर्वक अधिक *संख्या के परिणामस्वरूप विशिष्टरूप, अतिरंजित विवरण या मनगढ़ंत कहानी को पेश करने का खतरा पैदा हो जाता है। निस्संदेह, प्राथमिकी दर्ज करने में तत्परता इत्तला देने वाले के बयान की सत्यता के संबध में एक आश्वासन है। तुरंत दर्ज की गई प्राथमिकी से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अवलोकित होता है कि वास्तव में क्या हुआ था और संबंधित अपराध के लिए कौन जिम्मेदार था।"*

4. शिकायतकर्ता की गवाही में अविश्वास या उसके द्वारा बताए गए विवरण को खारिज करने की कोई दुर्बलता नहीं उभरी है और साक्ष्य में सत्य का समावेश हैं, वह प्रभावशाली, विश्वसनीय और भरोसेमंद है।

5. घायल गवाह की गवाही को कानून में विशेष दर्जा दिया जाता है। *'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश एवं अन्य;* (2011) 4 एससीसी 324 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:

"एक घायल साक्षी के साक्ष्य को एक प्रमाणित साक्षी होने के नाते उचित महत्व दिया जाना चाहिए, इस प्रकार, उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। उनके बयान को आम तौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है और यह संभावना नहीं है कि उन्होंने किसी और को झूठा फंसाने के क्रम में वास्तविक हमलावर को बख्शा हो। एक घायल साक्षी की गवाही की अपनी प्रासंगिकता और प्रभावकारिता होती है क्योंकि उसे घटना के समय और स्थान पर चोटें लगी थीं और यह उसकी गवाही को समर्थन देता है कि वह घटना के दौरान मौजूद था। इस प्रकार, घायल साक्षी की गवाही को

कानून में विशेष दर्जा दिया जाता है। गवाह यह नहीं चाहेगा कि उसके वास्तविक हमलावर को केवल इसलिए दंडित किया जाए ताकि किसी तीसरे व्यक्ति को अपराध के लिए झूठा फंसाया जा सके। इस प्रकार, घायल गवाह के साक्ष्य पर भरोसा किया जाना चाहिए, जब तक कि उसके साक्ष्य को प्रमुख विरोधाभासों और विसंगतियों के आधार पर अस्वीकार करने का आधार न हो।"

6. '*अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य;* (2010) 10 एससीसी 259, के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:

" महत्व का सवाल उस गवाह के साक्ष्य को दिया जाएगा जो स्वयं *घटना के दौरान घायल हुआ है इस पर न्यायालय द्वारा बड़े पैमाने पर चर्चा की गई है। जहां घटना का एक साक्षी स्वयं घटना में घायल हो गया है, ऐसे साक्षी की गवाही को आम तौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है, वह एक ऐसा गवाह है जो अपराध स्थल पर अपनी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी के साथ आता है और किसी को अनुचित तरीके से फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावर (हमलावरों) को छोड़ने की संभावना नहीं रखता है। "घायल साक्षी को बदनाम करने के लिए पुख्ता सबूत की आवश्यकता होती है"।*

7. परीक्षण पहचान कार्यवाही में भाग लेने से इनकार करने के लिए अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना है। गिरफ्तारी के तुरंत पश्चात, उन्हें पहचान के उद्देश्य से न्यायालय में चेहरों को छुपा कर पेश किया

गया। इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि उन्हें गवाहों को कब और किसके सामने दिखाया गया।

8. यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि शिनाख्त परेड जांच का एक उपकरण है और इसका उपयोग मुख्य रूप से एक तरफ अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि मामले में अभियुक्त वास्तविक अपराधी हैं। यह कहना अतिसामान्य है कि सारभूत साक्ष्य न्यायालय में पहचान का प्रमाण है। "*प्रेम सिंह बनाम हरियाणा राज्य*" 2011 (10) में एस.सी.ए.एल.ई. 102, उच्चतम न्यायालय अभिनिर्धारित किया है:

XXX XXX XXX

"13. दो चश्मदीद गवाहों अभि.स.-11 और अभि.स.-12 ने घटना का चित्रात्मक विवरण दिया है और प्रतिपरीक्षा की संवीक्षा की कसौटी पर खरे उतरे हैं और यह भी कहा था कि वे हमलावरों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन अभियुक्त ने इस आधार पर परीक्षण शिनाख्त परेड में भाग लेने से इनकार कर दिया था कि उसे चश्मदीद गवाहों को पहले ही दिखाया गया था। मेरे विचार में, यह अभियुक्त के लिए शिनाख्त परेड में भाग लेने से इनकार करना स्वतंत्र नहीं था और न ही अभियोजन पक्ष के लिए परीक्षण शिनाख्त परेड में भाग लेने के लिए अभियुक्त के इनकार को स्वीकार करने के लिए यह एक उचित कानूनी दृष्टिकोण था। यदि अभियुक्त-अपीलार्थी के पास ऐसा करने का कारण था, विशेष रूप से इस अभिवाक पर कि उसे चश्मदीद गवाहों को पहले से दिखाया गया था, तो शिनाख्त परेड के साक्ष्य के मूल्य और स्वीकार्यता पर बचाव पक्ष द्वारा परीक्षण के

चरण में आक्षेप किया जा सकता था ताकि परीक्षण शिनाख्त परेड के मूल्य को गिराया जा सके। लेकिन केवल अभियुक्त की आपत्ति के कारण, उसे परीक्षण पहचान परेड में भाग लेने से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, जिससे कम से कम अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि करने के लिए उसके विरुद्ध निश्चित रूप से प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

14. श्याम बाबू बनाम हरियाणा राज्य ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 577 जहां के मामले में। जहां अभियुक्त व्यक्तियों ने शिनाख्त परेड में भाग लेने से इनकार कर दिया था, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह अपराध के कृत्य में भागीदारी के बारे में बहुत कुछ बताएगा।

9. '*रवींद्र कुमार पाल @ दारा सिंह बनाम भारत गणराज्य* ', (2011) एस.सी.सी. 490 में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "फोटो पहचान पत्र और परीक्षण पहचान कार्यवाही केवल जांच में सहायक हैं और यह सारभूत साक्ष्य नहीं हैं। सारभूत साक्ष्य वह साक्ष्य हैं जो न्यायालय में शपथ पर निवेदित है। परीक्षण पहचान कार्यवाही के पीछे तर्क, जिसमें फोटो पहचान शामिल होगी, यह तथ्य है कि यह केवल जांच में सहायता है, जहां कोई अभियुक्त गवाहों को जानता नहीं है, जाँच अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण पहचान कार्यवाही आयोजित करता है कि उसे अभियुक्त के रूप में सही व्यक्ति मिला है। यह अभ्यास प्रक्रिया से नहीं, बल्कि समझदारी से पैदा होता है। सबसे अच्छा तो यह होगा कि इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत जाँच के दौरान

जाँच अधिकारी या दंडाधिकारी की मौजूदगी में अभियुक्त की पहचान करने वाले गवाह के आचरण के सबूत के रूप में लाया जा सकता है।'

10. शिकायतकर्ता की चश्मदीद गवाही की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य से हुई है। अभि.स.-10 (डॉ.एस.के.गुप्ता) ने पीड़ित रविंदर चौधरी की चिकित्सा विधिक मामला (प्र.अभि.स.-10/क) साबित की, जिसे डॉ.हितेश वाजपेयी ने तैयार किया था। प्र.अभि.स.-2 (अखिलेश माथुर) ने खातों की निकासी के समय रविंदर चौधरी को 86,000/- रुपये के भुगतान के बारे में स्पष्ट रूप से बताया। गोवर्धन एंटरप्राइजेज के मुख्य लेखाकार अभि.स.-3 (दलीप गोसाईं) ने शिकायतकर्ता को 86,008/ रुपये का भुगतान साबित किया। अभियोजन पक्ष द्वारा धन प्राप्ति के प्रमाण के रूप में शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर वाले वाउचर को साबित करने में की गई लोप का कोई महत्व नहीं है। दं.प्र.सं की धारा 313 में अ-1 ने बयान दिया कि वह घटनास्थल पर मौजूद था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक मोटरसाइकिल सवार और शिकायतकर्ता के मध्य दुर्घटना हुई थी और उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए बताया कि मोटरसाइकिल सवार की कोई गलती नहीं थी। इस पर शिकायतकर्ता ने उनसे बदला लेने और उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। बचाव पूरी तरह से खारिज करने योग्य है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे पता चले कि मोटरसाइकिल सवार के साथ कोई दुर्घटना हुई थी। बल्कि घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को पुलिस ने बाद में बरामद कर लिया।

11. अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारी सबूतों की मौजूदगी में, मुझे विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई वैध/उचित कारण नहीं मिलता है, अपीलार्थीगण को पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 2,000/- रूपये प्रत्येक के जुर्माने की सजा सुनाई गई। सह-दोषियों राम राज उर्फ राजेश उर्फ सागर और सरफू उर्फ गोविंदा की अपीलों को खारिज करते हुए सजा के आदेश को संशोधित नहीं किया गया और उन्हें आत्मसमर्पण करने तथा उन्हें दी गई सजा की शेष अवधि को पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस मामले में, अपीलार्थीगण ने न केवल एक गरीब कर्मचारी की मेहनत की कमाई 86,000/- रुपये लूट ली, जो उसे कंपनी के साथ खातों की निकासी के समय पूर्ण और अंतिम संतुष्टि के साथ मिली थी, लूटी गई पूरी रकम बरामद नहीं की जा सकी और पीड़ित को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। अपराध जानबूझकर और पूर्व नियोजित था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपीलार्थीगण को दी गई सजा को अत्यधिक नहीं माना जा सकता और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. अपील गुणागुण रहित हैं और खारिज कर दी जाती हैं। अपीलार्थीगण को दिनाँक 27.11.2013 को विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने और अपनी सजा की शेष अवधि काटने का निर्देश दिया जाता है। विचारण न्यायालय के अभिलेख को आदेश की प्रति के साथ तुरंत वापस भेजा जाए।

(श्री एस.पी.गर्ग)
न्यायाधीश

नवंबर 20, 2013/*टीआर*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*